[श्री जगदीश प्रसाद माथुर]

उपलब्ध न होना, इसका वे किस रूप में समर्थन करेंगे ? यू० पी० के चुनाव में कांग्रेस के फंड में यह रुपया आया और इसका आज हम यह नतीजा देख रहे हैं कि इसके प्राइम को डिक्टेट किया जा रहा है।

REFERENCE TO NARMADA WATER DISPUTE

श्री भैरों सिंह शेखावत (मध्य प्रदेश): सभापति जी, मैं एक प्रश्न का उल्लेख करना चाहता हूं जिस का सम्बन्ध राष्ट्र के आर्थिक विकास पर सीधा आता है। सभापति जी, यह बात सब जानते हैं कि नर्मदा प्रोजेक्ट के सम्बन्ध में आज से 20 वर्ष पहले एक रिपोर्ट पेश हुई थी। लेकिन राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश, इन तीनों राज्यों के अन्दर बना कितना भाग कौन सा राज्य उपयोग करेगा, इस प्रश्न को लेकर वाद-विवाद खड़ा हो गया। इस वाद-विवाद के साथ यह प्रश्न भी खड़ा हो गया कि नर्मदा प्रोजेक्ट के बनगांव बांध की ऊंचाई कितनी हो।

सभापति जी, इस प्रश्न को लेकर खोसला कमेटी बिठलाई गई थी और वह इस मामले की टक्नालाजी पर पूरे तरह से गई और उसने अपना एक प्रतिवेदन दिया। प्रतिवेदन देने के बाद उस पर निर्णय देने के लिए एक ट्रिब्यूनल मुकर्रर किया गया। ट्रिब्यूनल के सामने तीनों स्टेटों ने अपने अपने दावे प्रस्तुत किया। इस बीच मामला प्रधान मन्त्री को रेफर कर दिया गया। हम सब लोग उनके निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वे अपना इस सम्बन्ध में निर्णय देंगी। लेकिन मुझे जानकारी मिली है कि उन्होंने इस बारे में कोई निर्णय नहीं दिया है और इसको फिर से ट्रिब्यूनल को रेफर कर दिया गया है।

सभापति जी, इस योजना को लागू करने के बाद मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान को 500 करोड़ रुपया सालाना का लाभ हो सकता है। साथ ही हिन्दुस्तान में बिजली की कमी है, खाद्यान्न की कमी है। बिजली की कमी पूरी समाप्त हो सकती है और खाद्यान्न की कमी भी काफी अंशों तक पूरी की जा सकती है। एक ही पार्टी की सरकार केन्द्र में है और उसी पार्टी की सरकारें राज्यों में भी है, फिर भी यह दुर्भाग्य की बात है कि तीनों में इस प्रकार का विवाद चल रहा है और वह तय नहीं हो पा रहा है। मैं ऐसा समझता हूं कि यह राष्ट्र के साथ ग्रेटेस्ट क्राइम है और इतना बड़ा हिस्टोरिकल क्राइम है जिसका कि उदाहरण हिन्दुस्तान के बाहर और कहीं नहीं मिल सकता। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जहां जनता भूखी मर रही है, जहां बेकारी की समस्या है, जहां उद्योग बिजली के अभाव में पनप नहीं पा रहे हैं, जहां हिन्दुस्तान की आर्थिक स्थिति गिरती जा रही है भगवान के नाम पर राष्ट्र के हित में इस विवाद को जल्दी से जल्दी निबटाइए ताकि इस पानी का उपयोग हो सके, बिजली का उत्पादन हो सके और हिन्दुस्तान का औद्योगिक विकास हो सके। यदि इस प्रकार की स्थिति हिन्दुस्तान में बनी रही और निर्णय नहीं हुआ तो और कई प्रकार के जल-वितरण के विवाद हिन्दुस्तान में खड़े होंगे। मैं ऐसा समझता हूं और सरकार से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रश्न के ऊपर जल्दी से जल्दी फैसला किया जाय। 1969 में ट्रिब्यूनल मुकर्रर हुआ था, 72 में एवार्ड के लिए प्राइम मिनिस्टर को सौंपा गया। 69 का ट्रिब्यूनल आज तक फैसला नहीं कर पाया और अब फिर आज दूसरे ट्रिब्यूनल को रेफर करेंगे तो यह मामला वर्षों तक चलता रहेगा और देश को बड़ी भारी हानि होगी। इस प्रश्न की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए मैंने इस मामले का उल्लेख किया।

REFERENCE TO FIXATION OF WHEAT PRICE

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (उत्तर प्रदेश): सभापति जी, आप को स्मरण होगा कि गेहूं के भावों से सम्बन्धित एक प्रश्न के उत्तर में सदन के दोनों पक्षों ने चिन्ता व्यक्त की थी और आपने यहां यह आश्वासन भी दिया था कि यदि अवसर मिला तो इस प्रश्न के ऊपर इसी सेशन में एक चर्चा भी रखेंगे। लेकिन चूंकि अन्तिम दिन है और आज की कार्यवाही में उस चर्चा का उल्लेख नहीं है इसलिए मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि कृषि मन्त्री यदि इस सम्बन्ध में कोई वक्तव्य दे सकें तो दोनों पक्षों को सन्तोष हो सकेगा। स्थिति यह है कि सरकार ने 40 लाख टन का भंडार बनाने का निर्णय किया था और अब तक ढाई लाख टन का भंडार भी सरकार इकट्ठा नहीं कर सकी। उत्तर प्रदेश की, जिस राज्य से मैं आता हूं, स्थिति यह है कि मंडियों में गेहूं नहीं आ रहा है और भावों की स्थिति यह है कि 160 रुपये क्विन्टल से 175 रुपये क्विन्टल का भाव फसल के दिनों में है। जब फसल समाप्त हो जायेगी, सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर में क्या भाव होगा, आप आसानी से उसका अनुमान लगा सकते हैं। पंजाब की स्थिति के सम्बन्ध में कृष्णकान्त जी ने उस दिन बताया था कि पंजाब की मंडियों में भी गेहूं नहीं आ रहा है। सरकार यह प्रयत्न तो कर रही है कि करोड़ों रुपए की विदेशी मुद्रा व्यय करके दूसरे देशों से गेहूं का आयात करें। यदि इतना हो अनुदान देकर किसानों को उचित मूल्य दे दिया जाये और किसानों के घर से वह गेहूं बाजारों में आ जाये तो इसमें सरकार को क्या आपत्ति है। मैं यह चाहूंगा कि सदन समाप्त होने से पहले आप इस प्रश्न पर कृषि मन्त्री को निर्देश दें कि वे इस सम्बन्ध में अपनी नीति स्पष्ट करें। आज मैंने यह भी पढ़ा है कि पांच प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों के कृषि मन्त्रियों को केन्द्रीय खाद्य मन्त्री ने यहां बुलाया है। मैं यह चाहूंगा कि आज सदन समाप्त होने से पहले गेहूं के भाव के सम्बन्ध में आप कृषि मन्त्री को वक्तव्य देने का निर्देश अवश्य दें।